## न्यायालय:— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

दांडिक प्रकरण क-268/17 संस्थित दिनांक- 11.08.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

## विरुद्ध

संग्राम सिंह पुत्र हरचरण यादव उम्र 38 साल निवासी ग्राम सिंहपुर चाल्दा जिला अशोकनगर म0प्र0 ......अभियुक्त

## —: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 11.08.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 324, 506बी के आरोप है कि उसने दिनांक 13.07.2017 को समय 18 बजे से 18:10 बजे ग्राम सिंहपुर चाल्दा में लोकस्थान पर फरियादी होरल सिंह को मां—बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी होरल सिंह को धारदार हथियार कुल्हाडी से एवं लातघूंसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.07.2017 को फरियादी होरल सिंह की भैंसें सौरभ यादव के खेत में घुस गयी थीं उसके पास ही संग्राम सिंह का खेत हैं। संग्राम सिंह कुल्हाड़ी लेकर आया और होरल सिंह को मां बहन की अश्लील गालिया देने लगा और बोला भैंसे मेरे खेत में क्यों घुस गयी, तब होरल सिंह ने कहा कि सौरभ के खेत में घुसी है थी तेरे खेत में नहीं, तो इसी बात पर दोनों में गुत्थम गुत्था हो गये और संग्राम सिंह ने हाथ में कुल्हाड़ी लिये था जो होरल सिंह की ठोड़ी में लगी चोट होकर खून निकलने लगा तब सौरभ यादव ने घटना देखी। फरियादी होरल सिंह द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक 318/17 अंतर्गत धारा— 323, 294, 506, 324 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.08.2017 को फरियादी होरल सिंह द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों का शमन करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (2) द0प्रक्रस0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भादवि की धारा 294, 323, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 324 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।
- 04—अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फंसाया गया है।

05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

	18 बजे से 18:10 बजे ग्राम सिंहपुर चाल्दा में करियादी होरल सिंह को धारदार हथियार
व्	कुल्हाडी से एवं लातघूंसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ? दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

## <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये अभियोजन की ओर से प्रकरण में मात्र फरियादी होरल सिंह (अ0सा0—1) के कथन न्यायालय में कराये गये। होरल सिंह (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि एक माह लगभग शाम 6 बजे उसकी भैसें अभियुक्त के खेत के पास सौरभ के खेत में घुस गयी थीं। तो अभियुक्त ने उसके साथ गाली गलौच कर दी थी तथा उसे मां बहन की गालिया दी थी। फरियादी होरल सिंह (अ0सा0—1) का कहना है कि घटना में उन लोगों का मुंहवाद हुआ था जिसमें अभियुक्त ने उसे मां बहन की गलिया दी थी तथा इस घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना चंदेरी में लेखबद्ध करायी थी, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षरों में स्वीकार किये है।

- 07— फरियादी होरल सिंह (अ0सा0—1) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथनों को बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नही दी गयी। घटना दिनांक को भैंसें घूसने पर अभियुक्त ने फरियादी के साथ गाली—गलौच की थीं, इस संबंध में फरियादी के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों की पुष्टि भी उसके द्वारा लेखबद्ध करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 से होती हैं। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को खेत में भैसें घूसने पर से अभियुक्त ने फरियादी के साथ विवाद कर उसके साथ गाली गलौच की थीं।
- 08— फरियादी होरल सिंह (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उसका अभियुक्त से मुंहवाद हुआ था, जिसकी रिपार्ट उसने थाने पर लेख करायी थीं। फरियादी का अपने न्यायालीन कथनों में कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्त ने उक्त विवाद में उसके साथ गुत्थम—गुत्था कर दी थी तथा उसे कुल्हाडी से मार कर उपहित कारित की थी। फरियादी होरल सिंह (अ0सा0—1) अभियोजन घटना के विपरीत मात्र मुंहवाद की रिपोर्ट पुलिस थाना चंदेरी में लेख कराना बताता है जबिक अभियोजन की घटना के अनुसार अभियुक्त ने कुल्हाडी से फरियादी के ठोडी में घटना में उपहित कारित की थीं, जिसके संबंध में फरियादी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये हैं।
- 09— होरल सिंह (अ०सा०—1) के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उसका विस्तार पूर्वक परीक्षण किया गया, परन्तु इस साक्षी ने अपने परीक्षण में अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया कि अभियुक्त ने उसे घटना में धारदार हथियार कुल्हाड़ी से ठोड़ी में उपहित कारित की थी। फरियादी होरल सिह (अ०सा०—1) अपने परीक्षण में ही इस बात का खण्डन करता है कि उसने पुलिस से मारपीट की घटना की न तो रिपोर्ट लेख करायी और न ही इस संबंध में पुलिस को कोई कथन दिये। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट तोर पर कहता है कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई मारपीट की थी और न ही उसे घटना में चोटें आयी।
- 10— अतः फरियादी होरल सिंह (अ0सा0—1) के कथनों से स्पष्ट होता है कि इस साक्षी के अनुसार खेत में भैंसे घूसने को लेकर अभियुक्त ने उसके साथ मुंहवाद एवं गाली—गलौच अवश्य किया था, परन्तु अभियुक्त ने इस घटना में न तो

उसके साथ मारपीट की और उसे घटना में चोटें आयी। अतः जब घटना का मुख्य आहत एवं फरियादी होरल सिंह (अ०सा०—1) अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त के द्वारा उसके साथ की गयी मारपीट की घटना एवं घटना में उसे चोटें आना अस्वीकार करता है तथा मात्र घटना में मुंहवाद होना बताता है, तो ऐसे में निश्चित रूप से प्रदर्श—पी 1 में लेखबद्ध की गयी घटना फरियादी होरल सिंह (अ०सा०—1) के कथनों से मेल नहीं खाती हैं। अतः फरियादी होरल सिंह (अ०सा0—1) के कथनों से अभियोजन घटना की अभियुक्त ने फरियादी से धारदार हथियार कुल्हाडी से मारपीट की थीं, प्रमाणित नहीं होती हैं।

- 11— परिणामस्वरूप फरियादी होरल सिंह (अ०सा०—1) के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन न देने से अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 13.07.2017 को समय 18 बजे से 18:10 बजे ग्राम सिंहपुर चाल्दा में फरियादी होरल सिंह को धारदार हथियार कुल्हाडी से एवं लातघंसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 12—फलतः अभियुक्त संग्राम सिंह पुत्र हरचरण यादव के विरूद्ध को कारित हुयी उपहित के संबंध में भादिव की धारा 324 के आरोप प्रमाणित न होने से उसे भा0द0वि0 की धारा 324 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त होषित किया जाता है।
- 13— <u>अभियुक्त संग्राम सिंह पुत्र हरचरण यादव</u> की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नही।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)